20 रु. COURT FEE Rs 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

17

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. पुनर्विलोकन / 2016—श्योपुर निग 2850-I-16

मांगीलाल पुत्र श्री गोरधन खाती
निवासी ग्राम जलालपुर तहसील एवं
जिला श्योपुर (म0प्र0)

———पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

(1) बाबूलाल (2) गजाधर
पुत्रगण बजरंगा निवासी ग्राम डावरता
तहसील व जिला श्योपुर
(3) मुस.सीता पुत्री बजरंगा पत्नी सीताराम
निवासी बालीरोड श्योपुर
(4) महावीर (5) राधेश्याम (6) रामकल्याण
पुत्रगण जगन्नाथ खाती निवासी मोतीकुंज
के सामने बड़ौदा रोड, श्योपुर
(7) कमेता पुत्री जगन्नाथ पत्नी मांगीलाल
निवासी दांतरदा तह. व जिला श्योपुर
(8) दाखा बाई पुत्री गोरधन पत्नी रामकिशन
निवासी चन्द्रपुरा तह. व जिला श्योपुर
(9) मृत बृजेश के वारिस
(अ) मेबा वाई पत्नी स्व. श्री बृजेश
(ब) महेश (स) घनश्याम (द) मनू उर्फ भोला
पुत्रगण स्व. श्री बृजेश
(ई) रामबाई पुत्री बृजेश
निवासीगण कस्वा बडौदा कुंज, श्योपुर
(10) मुस. मिथलेश (मृत के वारिस)
(अ) रविशंकर (पती) (ब) कपिल मदर आफ
मिथलेश पुत्र रविशंकर (स) रीना मदर आफ
मिथलेश पुत्र रविशंकर (द)पिन्की मदर आफ

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) द्वारा आज 22/8/16 प्रस्तुत 22-8-16 क्लर्क ऑफ कोर्ट

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 22/8/2016

क्रमशः——2

मिथलेश पुत्र रविशंकर
समस्त निवासी ग्राम चन्द्रपुरा
तहसील व जिला श्योपुर

—— अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश सदस्य राजस्व मण्डल श्री एम.के. सिंह के प्रकरण कमांक 1524/अपील/2005 – श्योपुर बाबूलाल आदि बनाम मांगीलाल आदि आदेश दिनांक 06.04.2016 जिसी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.06. 2016 को प्राप्त हुई

श्रीमान जी,

पुनर्विलोकन के आधार निम्न प्रकार से पेश हैं :–

(1) यह कि, श्रीमान सदस्य महोदय का आदेश विधि विधान, क्षेत्राधिकार वाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यहकि, श्रीमान सदस्य महोदय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया हहै वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(3) यहकि, श्रीमान सदस्य महोदय ने अपील आदेश दिनांक 06.04.2016 में मृत पक्षकार अनावेदक कमांक 2 एवं 3 (बृजेश एवं मु. मिथलेश) आदेश दिनांक 06.04.2016 के 5–6 वर्ष पूर्व मृत हो चुके जिसमें अपील कर्ता ने मृत के वारिसानों को नम्बर पर लिये बिना जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(4) यहकि, विवादित आराजी के मूल भूमि स्वामी खेमा लाल का खानदानी सजरा निम्न प्रकार से है –

खेमा लाल खाती (मूल भूमि स्वामी)

गोवर्धन	बजरंगा	जगनाथ
पुत्र	पुत्र	पुत्र

(अ) प्रभूलाल (पुत्र)
(ब) मांगीलाल (पुत्र)
(स) भूरी बाई (पुत्री)
(द) धाका बाई (पुत्री)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2850–एक / 16 जिला –श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
21-12-17	आवेदक की ओर से श्री कुंअर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 1524 / एक / 2005 में पारित आदेश दिनांक 06.04.16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक रिव्यु 2850–एक / 16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 1524 / एक / 2005 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.04.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 2850–एक / 16 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य